**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**संजय कुमार**

**बनाम**

**शालिनी कुमारी**

2023 की विविध अपील सं. 530

26 अप्रैल, 2024

**(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे )**

**हेडनोट्स**

अपील - परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई, जिसके तहत पत्नी के पक्ष में मामले की शुरुआत की तिथि से गुजारा भत्ता राशि बढ़ा दी गई थी।

अधिनियमित - धारा 25(2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालय को "पक्षकारों की परिस्थितियों में परिवर्तन" को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी पक्ष की परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, जिसे धारा 25 की उपधारा (2) के तहत आदेश में परिवर्तन, संशोधन या निरस्तीकरण के लिए आवेदन करते समय ध्यान में रखना होगा, जैसा कि न्यायालय उचित समझे। **(पैरा 6)**

भरण-पोषण हमेशा मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करता है और न्यायालय द्वारा विभिन्न कारकों के आधार पर गुजारा भत्ता के लिए पारित दावे को आकार देने में न्यायोचित होगा। - गुजारा भत्ता में वृद्धि न्यायोचित है। **(पैरा 18)**

अपील खारिज की जाती है। **(पैरा 19)**

**पक्षकारों की ओर से उपस्थिति**

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री रंजन कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं की ओर से : सुश्री सुर्या निलांबारी, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोटस बनाया गया : **सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता**

**माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश**

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2023 का विविध अपील सं. 530**

======================================================================

संजय कुमार, पिता-स्वर्गीय योगेन्द्र कुमार सिंह, निवासी-छोटकी कोपा, थाना-नौबतपुर, जिला -पटना

.........याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

शालिनी कुमारी, पिता-आनंद शंकर, वर्तमान में निवासी, मोहल्ला-प्रियदर्शी नगर, न्यू बेली रोड, थाना-रूपसपुर, जिला-पटना, सुल्तानगंज, जिला-भागलपुर के स्थायी निवासी

..........उत्तरदाता/ओं

======================================================================

**उपस्थिति :**

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री रंजन कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं की ओर से : सुश्री सूर्या नीलांबरी, अधिवक्ता

======================================================================

**समक्ष : माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री**
**एवं**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे**
**सी. ए. वी. निर्णय**
**(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे)**
**तारीख : 26-04- 2024**

वर्तमान अपील विविध वाद सं. 06/2015 में पारित दिनांक 21.07.2023 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना ने प्रतिवादी-पत्नी के पक्ष में मामले की संस्थिती की तिथि से गुजारा भत्ता राशि 5,000/- रुपये से बढ़ाकर 18,000/- रुपये कर दी है।

2. संक्षेप में विविध मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी को 1998 का वैवाहिक मामल सं. 18 में दिनांक 04.08.2004 को आदेश द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 ख के तहत आपसी सहमति से तलाक दिया गया था और आपसी सहमति से तलाक का डिक्री पारित होने के बाद, याचिकाकर्ता के साक्ष्य, वेतन और संपत्ति के आधार पर, प्रतिवादी और उसके बेटे के पक्ष में 19.09.2008 को 5,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता 60,000 रु/- प्रति माह वेतन कमा रहा है और 5,000 रु/- की राशि याचिकाकर्ता की स्थिति के अनुसार बहुत कम है और प्रतिवादी ने प्रार्थना की है कि उक्त 5,000 रु/- की राशि को बढ़ाकर 35,000 रु/- प्रतिमाह किया जाए और साथ ही याचिकाकर्ता के खिलाफ 21.02.2015 को मुकदमेबाजी लागत के रूप में 25,000 रु/- दिया जाएं।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी के पक्ष में मामला दर्ज होने की तिथि से 18,000 रुपये प्रति माह की बढ़ी हुई राशि कानून के बिल्कुल विपरीत है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास कई जिम्मेदारी और दायित्व हैं और उसका वर्तमान वेतन और साथ ही प्रासंगिक समय यानी वर्ष 2015 में उसका वेतन प्रतिवादी के पक्ष में 18,000/- रुपये प्रति माह की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, वर्तमान विविध अपील है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे है की वर्ष 2015 में याचिकाकर्ता लगभग 50,000 रू/- प्रतिमाह वेतन अर्जित कर रहा था, इसके बावजूद, संबंधित परिवार न्यायालय ने 2015 के काल्पनिक वर्तमान वेतन के आधार पर गुजारा भत्ता राशि बढ़ा दी क्योंकि अपीलकर्ता मार्च, 2023 में 74,305 रु/- वेतन अर्जित कर रहा था और संबंधित परिवार न्यायालय ने वैवाहिक मामला दायर करने की तिथि अर्थात वर्ष 2015 से गुजारा भत्ता राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रु/- प्रति माह करने का

आदेश पारित किया है। उस संदर्भ में, संबंधित परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरर्थक है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि 04.08.2004 को आपसी सहमति से तलाक के आदेश के बाद, याचिकाकर्ता ने संगम स्नेहा के साथ वर्ष 2006 में दूसरी शादी कर ली और उक्त विवाह से याचिकाकर्ता के तीन बच्चे एवं अलावे इसके वृद्ध विधवा माँ भी है । याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी एक संपन्न महिला है। विद्वान परिवार न्यायालय ने इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि घर माँ द्वारा खरीदा और निर्मित किया गया था और याचिकाकर्ता की दो बहनें और एक भाई है, हिंदू कानून के अनुसार वह उक्त घर पर कभी दावा नहीं कर सकता। वह आगे प्रस्तुत करता है की कि याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर सेवा में नियुक्त किया गया था और उक्त अनुकंपा के प्रावधान के अनुसार, याचिकाकर्ता परिवार का 'कर्ता' के समान अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए उत्तरदायी था इसलिए याचिकाकर्ता सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य है। इस तरह, संबंधित अदालत ने विवध मामला का निपटान करते समय तुच्छ और काल्पनिक विचार किया है और स्थायी निर्वाह निधि को रु. 5,000/- को रु. 18,000/- बिना किसी भी आधार पर बढ़ा दिया है क्योंकि संबंधित न्यायालय ने याचिकाकर्ता का मासिक वेतन लगभग एक लाख प्रति माह का काल्पनिक मूल्यांकन किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश कानून के विरुद्ध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है और दिनांक 21.07.2023 को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , पटना द्वारा पारित आदेश न्यायोचित और कानूनी है तथा यह अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है जिसके द्वारा संबंधित न्यायालय ने 21.02.2015 को वृद्धि के आवेदन के संदर्भ में 21.07.2023 को स्थायी

गुजारा भत्ता की राशि 5,000/- रुपये से बढ़ाकर 18,000/- रुपये प्रतिमाह कर दी थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र सरकार का एक कर्मचारी (टी. टी. ई.) है और भरण-पोषण की राशि बढ़ाने के लिए आवेदन की तिथि पर उसका वेतन एक लाख रुपये से कम नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र है और उसके पास पैतृक संपत्ति के साथ-साथ आय के अन्य स्रोत भी हैं। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में, आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा स्थायी निर्वाह निधि 5,000/- रुपये से बढ़ाकर 18,000/- रुपये प्रतिमाह किया जाना न्यायोचित एवं कानूनी है, अतः इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. तर्क और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या 21.02.2015 को दायर आवेदन की तिथि के अनुसार 18,000/- रुपये की बढ़ी हुई राशि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा - 25 (1) और (2) के अंतर्गत न्यायोचित और वैध है?

6. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 न्यायालय को स्थायी गुजारा भत्ता देने का अधिकार प्रदान करती है जो पति या पत्नी आवेदन करके इसका दावा करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) न्यायालय को धारा 25 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के तहत अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में स्थायी गुजारा भत्ता या स्थायी भरण-पोषण के लिए दिए गए किसी भी आदेश में परिवर्तन, संशोधन या उसे रद्द करने की पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है। धारा 25(2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालय को "पक्षकारों की परिस्थितियों में परिवर्तन" को ध्यान में रखना होगा। किसी भी पक्ष की परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन होना आवश्यक है, जिसे धारा 25 की उपधारा (2) के अंतर्गत आदेश में परिवर्तन, संशोधन या निरसन के लिए आवेदन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसा कि न्यायालय उचित समझे।

7. वर्तमान मामला में, प्रतिवादी ने स्थायी गुजारा भत्ता 5,000/- रुपये से बढ़ाकर 35,000/- रुपये प्रति माह करने के लिए 21.02.2015 को विविध मामला दायर किया है तथा उक्त विविध मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ने दो गवाहों, कुमुद कुमार तथा स्वयं प्रतिवादी को पेश किया। मौखिक साक्ष्य के अलावा, कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए जो इस प्रकार हैं:-

*1. अप्रैल, 2018 का वेतन पर्ची (प्रदर्श-1)*

*2. मई, 2018 का वेतन पर्ची (प्रदर्श - 1/1)*

*3. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए याचिकाकर्ता का वेतन विवरण (प्रदर्श 2)।*

*4. बिक्री विलेख का छायाप्रति (प्रदर्श 3)।*

*5. आकाश आनंद का शुल्क रसीद का छायाप्रति दिनांक 08.07.2017 (प्रदर्श 4)।*

*6. परामर्श सूची (प्रदर्श 4/1).*

*7. आकाश आनंद का बिल रसीद का छायाप्रति (प्रदर्श 4/2)*

*8. आकाश आनंद का बिल रसीद दिनांक 19.07.2018 (प्रदर्श 4/3)।*

याचिकाकर्ता की ओर से तीन गवाहों की जांच की गई है। वे कमलेश शर्मा (वि. सा. 1), संगम स्नेहा (वि. सा. 2) और वि. सा. 3 (याचिकाकर्ता स्वयं) हैं । मौखिक साक्ष्य के अलावा, कुछ दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:-

*1. मार्च, 2023 की वेतन पर्ची की छायाप्रति (प्रदर्श क)।*

*2. फरवरी, 2023 की वेतन पर्ची की छायाप्रति (प्रदर्श क/1)।*

*3. विद्यालय शुल्क रसीदें की छायाप्रति (प्रदर्श ख, ख/1, ख/2 और ख/3)।*

*4. वित्तीय वर्ष 2022- 23 के आयकर रिटर्न का छायाप्रति (प्रदर्श ग)*

8. वर्तमान अपील में प्रतिवादी शालिनी कुमारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक है। उसने कहा है याचिकाकर्ता-संजय कुमार सहरसा में तैनात हेड टी. टी. ई. हैं और उन्हें 1,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है और उपरोक्त आय के अलावा, याचिकाकर्ता के पास नौबतपुर में तीन बीघा जमीन है और खगौल के लेखानगर में उनका तीन मंजिला भवन है और याचिकाकर्ता अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र है और याचिकाकर्ता की माँ भी पेंशन ले रही हैं। उसने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता ने दूसरी शादी कर ली है और प्रतिवादी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह आज के जीवन स्तर के मद्देनजर याचिकाकर्ता के वेतन के आधार पर भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है। प्रति-परीक्षण के दौरान, उसने कहा है कि याचिकाकर्ता के दो बेटे हैं और उनकी दूसरी पत्नी से एक बेटी है।

9. कुमुद कुमार, जिनकी प्रतिवादी की ओर से अ.सा-1 के रूप में भी जांच की गई है, ने कहा है कि याचिकाकर्ता पति था और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के विवाह से एक बेटा पैदा हुआ था। अ.सा-1 ने आगे कहा कि वह प्रतिवादी का चचेरा भाई है। उसने यह भी दोहराया है कि याचिकाकर्ता सहरसा में हेड टी. टी. ई. के पद पर तैनात है और आज वह लगभग रु. 60,000/- रुपये का वेतन कमा रहा है और उस आय के अलावा उसके पास छोटकी कोपा से सटे नौबतपुर में उनकी पैतृक संपत्ति है। उन्होंने यह भी दोहराया है कि याचिकाकर्ता के पास लेखानगर, पटना में तीन मंजिला इमारत हैं और 24,000/- रुपये मासिक किराया कमाता है और याचिकाकर्ता की मां भी रेलवे से पेंशन कमा रही है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपसी सहमति से दोनों पक्षों के बीच तलाक हो गया है और मासिक भरण-पोषण के लिए 5,000/- रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया गया था और उक्त राशि आज की तारीख में प्रतिवादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

10. प्रतिवादी ने अप्रैल, 2018 की वेतन पर्ची प्रस्तुत की है, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि सकल वेतन 79,922/- रुपये और शुद्ध वेतन 68,925/- रुपये है। मई 2018 की वेतन पर्ची में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि सकल वेतन 1,25,306/- रुपये और शुद्ध वेतन 1,14,309/- रुपये है।

11. वि.सा.3 जो याचिकाकर्ता है, का साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक है कौन है। उसने कहा है कि प्रतिवादी तलाकशुदा पत्नी है और याचिकाकर्ता का प्रतिवादी से एक बेटा है जो 24 साल का है। वह आगे कहता है की उसका संगम स्नेहा उर्फ रिंकी देवी के साथ विवाह संपन्न हुआ और दूसरी पत्नी से उसके दो बेटे और एक बेटी हैं और उसे स्वयं तीन बच्चों की पढ़ाई का खर्च की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है जिसमें ट्यूशन शुल्क और अन्य शुल्क भी शामिल है। उसने आगे कहा कि उसके दूसरा पत्नी थायरॉइड और अन्य बीमारी से पीड़ित है और उसके इलाज के उद्देश्य से भी उसे उसकी दूसरी पत्नी का भरण पोषण करना पड़ता है। उसने आगे कहा है कि प्रतिवादी के पास आय का पर्याप्त स्रोत है और उसे किराए, कोचिंग और एन. जी. ओ. से आय मिलता है और प्रतिवादी का बेटा भी कमाने वाला व्यक्ति है। प्रति-परीक्षण के दौरान उसने स्वीकार किया है कि उसे अप्रैल, 2022 में करीब 75,000 रुपए वेतन मिलता था और लेखानगर में उसकी माँ के नाम पर एक इमारत है और उसकी माँ पेंशन धारक हैं। उसने कहा है कि वह प्रतिवादी की किराए, कोचिंग, एन. जी. ओ. के आय के स्रोत आदि से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। उसने अनु. 23 में यह भी स्वीकार किया है कि वे रेलवे में हेड टी. टी. ई. के पद पर तैनात था।

12. वि. सा. 1 कमलेश शर्मा याचिकाकर्ता की चचेरी बहन है तथा वि. सा. 2 उसकी पत्नी है। दोनों गवाहों ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता टी. टी. ई. है तथा याचिकाकर्ता ने दूसरी शादी की है। दोनों गवाहों ने इस तथ्य का समर्थन किया है कि याचिकाकर्ता के पास पैतृक संपत्ति है।

13. प्रदर्श-2 में याचिकाकर्ता के वेतन का विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है तथा उक्त प्रदर्श से यह पता चलता है कि औसत सकल वेतन 95,000/- रुपये प्रतिमाह से कम नहीं है तथा अधिकांश महीनों में उसका औसत सकल वेतन एक लाख रुपये से अधिक है। इसके अलावा, औसत कटौती 11,000 रुपये से 18,000 रुपये प्रति माह तक होती है और उक्त कटौती में 5,000 रुपये प्रति माह का भत्ता शामिल है। उक्त वेतन आय के अलावा, अन्य स्रोतों से आय, जैसे कृषि भूमि से आय और किराए से आय, याचिकाकर्ता के पक्ष में होने से इनकार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता की किसी भी व्यक्तिगत कटौती को भरण-पोषण की गणना के लिए नहीं काटा जा सकता।

14. हम हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 का उल्लेख करना चाहेंगे जो इस प्रकार है:-

> ***25. स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण -*** *(1) इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई भी न्यायालय, किसी भी डिक्री को पारित करते समय या उसके बाद किसी भी समय, पत्नी या पति द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, इस प्रयोजन के लिए किए गए आवेदन पर, यह आदेश दे सकता है कि प्रतिवादी, आवेदक को उसके भरण-पोषण के लिए ऐसी सकल राशि या मासिक या आवधिक राशि का भुगतान करेगा जो आवेदक के जीवनकाल से अधिक न हो, जो प्रतिवादी की अपनी आय और अन्य संपत्ति, यदि कोई हो, आवेदक की आय और अन्य संपत्ति [पक्षकारों का आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियाँ] को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, और ऐसा कोई भी भुगतान, यदि आवश्यक हो, प्रतिवादी की अचल संपत्ति पर भार*

*द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है।*

*(2) यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करने के बाद किसी भी समय किसी भी पक्षकार की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, तो वह किसी भी पक्षकार के कहने पर, ऐसे किसी भी आदेश में परिवर्तन, संशोधन या निरस्तीकरण कर सकता है, जैसा न्यायालय न्यायसंगत समझे।*

15. वर्तमान अपील में, विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने वैधानिक आवश्यकता के अनुसार गुजारा भत्ता की राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25(2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालय "दोनों पक्षों की परिस्थितियों में बदलाव" को ध्यान में रखेगा।

16. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता रेलवे विभाग में हेड टी. टी. ई. है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि वैवाहिक वाद संख्या 18/1998 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2008 के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में 5,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी और भरण-पोषण के प्रारंभिक आदेश अर्थात 19.09.2008 के बाद से लगभग सात वर्ष बीत चुके हैं और उसके बाद भरण-पोषण भत्ता बढ़ाने के लिए आवेदन वर्ष 2015 में दायर किया गया था और अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , पटना ने 21.07.2023 को वृद्धि का आदेश पारित किया था। जब हम प्रतिवादी के पक्ष में प्रारंभिक भत्ते की अवधि अर्थात 5,000/- रुपये से गणना कर रहे हैं, तो वर्ष 2015 में वेतन वृद्धि आवेदन के समय 07 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। वह व्यक्ति जो रेलवे विभाग में सरकारी कर्मचारी है और हेड टी. टी. ई. के पद पर तैनात है, विवेकपूर्ण और व्यावहारिक रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दैनिक जीवन के

महंगे मामलों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उसके वेतन में वृद्धि की गई है। याचिकाकर्ता ने स्वयं अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि साक्ष्य प्रस्तुत करते समय वह 75,000/- रुपये से कम वेतन नहीं कमा रहा था। प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य में यह भी स्वीकार किया है कि उसके पति 1,25,000/- रुपये वेतन कमा रहा था। प्रतिवादी ने मई, 2018 की वेतन पर्ची भी प्रस्तुत की है, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसके पति का सकल वेतन 1,25,306/- रुपये है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि वेतन से होने वाली आय के अलावा, याचिकाकर्ता के पास पैतृक संपत्ति और तीन मंजिला इमारत भी है जो उसकी माँ के नाम पर है और उसकी माँ पेंशन धारक है।

17. सितंबर, 2008 से, प्रतिवादी को 5,000 रुपये प्रति माह का भरण-पोषण भत्ता दिया जा रहा था, जो प्रतिवादी के दैनिक जीवन के दैनिक खर्च के अनुरूप नहीं था क्योंकि उसे अपने इकलौते बेटे की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ रही है, जिसके लिए उसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए ऋण लेकर खर्च किया है।

18. प्रदर्श-1/1 के अवलोकन से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलकर्ता कर्ता का वेतन 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) से कम नहीं है और शुरुआत में पत्नी को 5,000/- रुपये गुजारा भत्ता मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 18,000/- रुपये कर दिया गया है। **कुलभूषण कुमार बनाम राज कुमारी (1970) 3 एससीसी 129** में अभिलेखित किए गए अनुसार, इस मामले में, यह माना गया कि पति के शुद्ध वेतन का 25% प्रतिवादी-पत्नी को भरण-पोषण के रूप में दिया जाना उचित और न्यायसंगत होगा। उक्त सिद्धांत का पालन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***कल्याण देय चौधरी बनाम रीता देय चौधरी नी नंदी (2017) 14 एस. सी. सी. 200*** में भी किया गया है। पत्नी को दी जाने वाली स्थायी गुजारा भत्ता राशि पक्षकारों की स्थिति और पति/पत्नी की भरण-पोषण देने की क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। भरण-पोषण हमेशा मामले की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करता है और न्यायालय द्वारा विभिन्न कारकों के आधार पर भरण-पोषण के दावे को उचित ठहराया जा सकता है। चूँकि मई, 2018 में पति का

शुद्ध वेतन 1,14,309/-रुपये था, इसलिए तत्कालीन अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में स्थायी गुजारा भत्ता बढ़ाने का निर्णय उचित था और विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , पटना द्वारा विविध वाद सं. 06/2015 में पारित दिनांक 21.07.2023 का आदेश न्यायोचित और विधिसंगत है। अतः याचिकाकर्ता ने परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनाया है।

19. तदनुसार, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

20. अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से तीन महीने के भीतर भरण-पोषण के बकाया की गणना करके प्रतिवादी के बैंक खाते में जमा कर दे। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह जल्द से जल्द अपना बैंक खाता प्रस्तुत करें।

**(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)**

**( आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)**

शहजाद/-

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**